(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी–1188–एक/09 विरुद्ध आदेश दिनांक 29.12.2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 324/2007–08/अपील।

निरपत सिंह आत्मज श्री लाखाराम रावत
निवासी– ग्राम लालगढ़ तह0 व जिला शिवपुरी .....आवेदक

विरुद्ध

1. श्री ईश्वरलाल
2. श्री मथुरा
   पुत्रगण श्री ताराचन्द रावत
   निवासीगण– ग्राम लालगढ़ तह0 व जि0 शिवपुरी (म.प्र) .....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह

आदेश

(आज दिनांक २१/१२/१७ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 324/2007–08/अपील में पारित आदेश दिनांक 29.12.2008 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय चाचौड़ा के द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.10.2007 के द्वारा ग्राम पुरा भागपुर की भूमि सर्वे क. 466 रकवा 0.98 पर संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदक निरपत का नाम

दर्ज करने का आवेदन अस्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उन्होंने आदेश दिनांक 23.05.2008 के द्वारा निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जो अपर आयुक्त द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अभिलेख एवं साक्ष्य के विपरीत है। प्रकरण में कब्जा और लगान की स्थिति को पटवारी द्वारा आवेदक के पक्ष में कथित किया है। उभयपक्षों में से किसी पक्ष द्वारा त्रुटि सुधार का अभिकथन नहीं किया है प्रकरण में गलत धारा का उल्लेख हो जाने से आवेदक को न्याय से वंचित करना उचित नहीं है । आवेदक का विवादित भूमि में निरंतर आधिपत्य एवं कब्जा चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किए हैं जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय को संहिता की धार 115 एवं 116 के तहत कब्जा दर्ज करने का अधिकार नहीं है । आवेदक का निरंतर कब्जा प्रमाणित नहीं है । उसके द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया कि उसे प्रश्नाधीन भूमि कब और किन शर्तों के अधीन प्राप्त हुई ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण कब्जे के आधार पर नाम दर्ज करने के संबंध में है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि उसे कब और किन शर्तों के अधीन प्राप्त हुई है उसके द्वारा लगान आदि जमा करने की रसीदें नहीं प्रस्तुत की गई हैं और वह अपना आवेदन–पत्र साक्ष्य से प्रमाणित करने में असफल रहा है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा आवेदन संहिता की धारा 115–116 के तहत दिया गया है जिसके तहत नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती है । गलत धारा के अंकन के आधार पर पक्षकार को

न्याय से वंचित नहीं करने के संबंध में अपर आयुक्त का निकाला गया यह निष्कर्ष उचित है कि जब आवेदक का आवेदन ही साक्ष्य से पुष्ट न हो तब उसे किसी आधार पर लाभ नहीं दिया जा सकता । अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो निर्णय है वह उचित और न्यायिक है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर